रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11022022-233308
CG-DL-E-11022022-233308

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 11, 2022/माघ 22, 1943
No. 43] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 11, 2022/MAGHA 22, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2022

सं. 48 /2015–2020

विषयः सीपीसी विनिर्माण उद्योग के लिए (i) अल्यूमिनियम उद्योग के लिए कैल्सिंड पेट कोक और (ii) कच्चे पेट कोक के आयात के लिए वर्ष 2022–2023 के कोटे के आबंटन की प्रक्रिया के संबंध में।

फा. सं. 01/93/180/03/एएम10/पीसी–2(क)/पार्ट–II/ई–10763.—माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 9 अक्टूबर, 2018 के अपने आदेश के तहत रिट याचिका संख्या 13029/1985 में निर्णय लिया है कि अल्यूमिनियम उद्योग में कैल्सिंड पेट कोक (सीपीसी) के रूप में उपयोग के लिए कच्चे माल का आयात प्रतिवर्ष कुल 0.5 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक नहीं हो सकता है। इसी प्रकार सीपीसी विनिर्माण उद्योग के लिए कच्चे पेट कोक का आयात प्रतिवर्ष 1.4 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक नहीं हो सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में, पेट कोक की आयात नीति की शर्त को अधिसूचना सं. 42 दिनांक 23 अक्तूबर, 2018 के तहत संशोधित किया गया और जिसमें यह इंगित किया गया था कि ऐसे आयात का विनियमन और निगरानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 10 सितम्बर, 2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या क्यू–18011/54/2018–सीपीए के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

2. उपर्युक्त के अनुसरण में और विदेश व्यापार नीति (2015–20) के पैरा 2.04 के साथ पठित समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्द्वारा वर्ष 2022–23 के लिए कैल्सिंड पेट कोक और कच्चे पेट कोक के आयात पर रोपित मात्रात्मक प्रतिबंध को कार्यान्वित करने के लिए प्रक्रिया/तंत्र को निम्नानुसार अधिसूचित करते हैं:

पेट कोक के आयात हेतु आवेदन की शर्त और तौर तरीके

i. आयात पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा का.ज्ञा. सं. क्यू–18011/54/2018–सीपीए के तहत जारी दिशानिर्देशों के अधीन होगा और पैरा–वार अनुपालन कोटा को जारी करने के विचारार्थ आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है।

ii. आयात में वार्षिक मात्रा की सीमा राजकोषीय वर्ष आधार पर लागू होगी। तदनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रति वर्ष आयात के लिए अनुमत और आयात हेतु उपलब्ध कुल मात्रा (i)एल्युमीनियम उद्योग में कैल्सिंड पेट कोक के रूप में उपयोग हेतु कैल्सिंड पेट कोक 0.5 मिलियन मीट्रिक टन और (ii) सीपीसी विनिर्माण उद्योग के लिए कच्चा पेट कोक 1.4 मिलियन मीट्रिक टन है। यह इन दो क्षेत्रों की सभी औद्योगिक इकाइयों के लिए उपलब्ध है।

iii. उपर्युक्त यथा उल्लिखित कोटे का लाभ उठाने के इच्छुक सभी पात्र इकाईयां ट्रेड नोटिस सं. 49 दिनांक 15 मार्च, 2019 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार आयात लाइसेंस हेतु आवेदन कर सकती है, जिसके साथ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) का प्रमाण पत्र देना होगा जिसमें दिनांक 09.10.2018 (रिट याचिका संख्या 13029/1985 में माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश) को इकाई की क्षमता इंगित हो तथा प्रयोक्ता औद्योगिक इकाईयों के नाम एसपीसीबी/पीसीसी का वैध सहमति प्रमाण पत्र भी देना होगा जिसमें आयात हेतु अनुमत मात्रा और मासिक और वार्षिक आधार पर इसके उपयोग का उल्लेख किया गया हो।

iv. ऊपर उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ पूर्ण रूप से भरा हुआ ऑनलाइन आवेदन दिनांक 28 फरवरी, 2022 तक अथवा इससे पहले पहुंचना चाहिए। इसके अलावा, आवेदकों को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए उन्हे जारी किए गए आयात लाइसेंस के उपयोग के संबंध में ऑनलाइन आवेदन के साथ वचन–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा और 28.02.2022 तक किसी भी अप्रयुक्त मात्रा का अभ्यर्पण करना होगा। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप वर्ष 2022–23 के लिए उनके आवंटन से उस मात्रा में कटौती की जाएगी।

v. यदि प्राप्त दस्तावेज क्रम में पाये जाते हैं, तो ऑनलाइन आवेदन पर आयात प्राधिकार पत्र प्रदान करने हेतु डीजीएफटी (मुख्यालय) में एक्जिम सुविधा समिति (ईएफसी) द्वारा विचार किया जाएगा। आयात प्राधिकार पत्र केवल दिनांक 31.03.2023 तक वैध रहेगा।

vi. यदि, वर्ष 2022–23 हेतु अनुमति/लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, आयातक संपूर्ण मात्रा का उपयोग/आयात नहीं कर सका जिसके लिए उसे लाइसेंस जारी किया गया था, तो आवेदक अप्रयुक्त कोटे के वितरण की सुविधा अन्य आवेदकों जिन्होंने प्रारंभ में आवेदन किया है, को प्रदान करने के क्रम में दिनांक 31.12.2022 तक या इससे पहले import-dgft@nic.in पर ई–मेल के माध्यम से इसके बारे में डीजीएफटी को सूचित करेगा। आवंटित मात्रा का उपयोग न करने और सरेंडर नहीं करना आवेदक को आगामी कोटे के लिए अपात्र घोषित करेगा और अप्रयुक्त मात्रा की उसकी पात्रता से कटौती की जाएगी।

vii. इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान प्रयोक्ता आवेदकों को आंवटित मात्रा, यदि उपयोग नहीं की गई अथवा डीजीएफटी को अभ्यर्पित की गई हो; तो अप्रयुक्त शेष मात्रा की कोटा जिसके लिए आवेदक संसाधनों के बेहतर उपयोग हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में पात्र होगा, से कटौती की जाएगी।

viii. पेट कोक के आयात के लाइसेंस धारक अपनी आयात खेप का विवरण अर्थात, आयात की मात्रा, सीमा शुल्क से माल की निकासी पर प्रत्येक खेप के संबंध में बिल की प्रविष्टि के विवरण के साथ आयात का स्रोत और तारीख की जानकारी डीजीएफटी (मुख्यालय) को देता रहेगा।

इसके पश्चात, अवधि के दौरान किए गए सभी आयातों के समेकित विवरण को देते हुए समेकित रिपोर्ट को आयात प्राधिकार पत्र अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर डीजीएफटी (मुख्यालय) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ix. डीजीएफटी में ईएफसी कोटा का मूल्यांकन और आवेदकों में इसका आबंटन करेगा और लाइसेंस डीजीएफटी मुख्यालय द्वारा जारी किया जाएगा।

x. ऐसी खेपों की आयात खेपों की इस शर्त पर निकासी की जा सकती है कि दिनांक 31.03.2023 को या इससे पहले सीमा शुल्क प्राधिकारियों 'आउट ऑफ चार्ज' द्वारा अधिकृत किया गया हो।

2. <u>इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव</u>: वर्ष 2022–2023 हेतु (i) एल्यूमीनियम उद्योग में कैल्सिंड पेट कोक के रूप में उपयोग और (ii) सीपीसी विनिर्माण उद्योग हेतु कच्चे पेट कोक के आयात के लिए कोटे के आबंटन हेतु प्रक्रिया अधिसूचित की गई है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 10th February, 2022

No. 48 / 2015-20

Subject: Procedure for allocation of quota, for year 2022-2023, for import of (i) Calcined Pet Coke for Aluminum Industry and (ii) Raw Pet Coke for CPC manufacturing industry –regd.

F. No: 01/93/180/03/AM-10/PC-2[A]/Part-II/e-10763.—The Hon'ble Supreme Court in the Writ Petition No. 13029/1985 vide its order dated 9th October, 2018, has decreed that the import of raw material for use as Calcined Pet coke (CPC) in Aluminum Industry cannot exceed 0.5 Million MT per annum in total. Similarly, import of Raw Pet Coke for CPC manufacturing industry cannot exceed 1.4 Million MT per annum. In light of the Order of the Hon'ble Supreme Court, the import policy condition of Pet Coke was amended vide Notification No. 42 dated 23rd October, 2018 wherein it had been indicated that the regulation and monitoring of such imports will be as per the guidelines of Ministry of Environment, Forest and Climate Change issued vide OM No Q-18011/54/2018-CPA dated 10th September, 2018.

2. Pursuant to the above and in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 as amended from time to time read with Para 2.04 of the Foreign Trade Policy (2015-2020), the Director General of Foreign Trade hereby notifies the procedure/ mechanism to implement the restriction imposed on import of Calcined Pet Coke and Raw Pet Coke for year 2022-2023, as under:

<u>Conditions and modalities of application for import of Pet coke.</u>

i. Imports will be subject to guidelines laid down by MoEF&CC issued vide OM No Q-18011/54/2018-CPA and para wise compliance may be submitted with the application for consideration of release of quota.

ii. The annual quantity limitation in import will be operated on fiscal year basis. Accordingly, the total quantity permitted for import per annum by the Hon'ble Supreme Court and available for import is (i) Calcined Pet Coke for use as Calcined Pet coke in Aluminum Industry is 0.5 Million MT and (ii) Raw Pet Coke for CPC manufacturing industry is 1.4 Million MT. This is available for all industrial units in these two sectors.

iii. All eligible entities desiring to avail quota as mentioned above, may apply for import license as per procedure mentioned in Trade Notice No. 49 dated 15th March, 2019 along with State Pollution Control Board Certificate (SPCB)/ Pollution Control Committee (PCC) indicating capacity of the unit as on 09.10.2018 (Hon'ble Supreme Court Order in Writ Petition No. 13029/1985) and also valid consent certificate from SPCB/ PCC, in the name of user industrial units indicating the quantity permitted for import and its usage on a monthly and yearly basis.

iv. **Completed online application along with the required documents mentioned must be submitted on or before 28th February, 2022. Further, applicants are also required to submit undertaking along with the online application regarding utilization of import license issued to them for FY 2021-22 and surrender any unutilized quantity by 28.02.2022.Failure to do so would result in deduction of such quantity from their allocation for the year 2022-23.**

v. If documents received are found in order, the online application will be considered by Exim Facilitation Committee (EFC) in DGFT(HQ) for grant of import authorization. The import authorization shall be valid till 31.03.2023 only.

vi. If, after obtaining permission/license for the year 2022-23, importer cannot utilize/ import the entire quantity for which the license has been issued, the applicant shall intimate the same to DGFT through email at **import-dgft@nic.in** on or before 31.12.2022 in order to facilitate distribution of the unutilized quota to other applicants who had applied initially. Failure to utilize allotted quantity and non–surrender will disqualify the applicant for future quota and the unutilized quantity will be deducted from their entitlement.

vii. **Further, the quantity allocated during FY 2022-23 to the user applicants, if not utilized or surrendered to DGFT; the quantity left unutilized will be deducted from the quota for which applicant would be eligible in FY 2023-24, for better resource utilization.**

viii. Holders of the license for import of Pet Coke would keep the DGFT (HQ) informed of the details of his import consignments i.e., the quantity of import, source and date of import along with details of Bill of entry in respect of each consignment on clearance of goods from Customs. Subsequently, a consolidated report within 30 days of the expiry of import authorization period must be submitted to the DGFT (HQ), giving consolidated details of all imports made during the period.

ix. EFC in DGFT will evaluate and allocate quota among applicants and licenses will be issued by the DGFT(HQ).

x. Import consignments of such consignments may be cleared given that the 'Out of charge' has been authorised by the Customs Authorities on or before 31.03.2023

3. **Effect of this Public Notice:**

The procedure for allocation of quota for import of (i) Calcined Pet Coke for use in Aluminum Industry; and (ii) Raw Pet Coke for CPC manufacturing industry for the year 2022-2023 is notified.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade

Ex- officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2022.02.11 16:28:33 +05'30'